# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
## कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

## पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/296/13

अनुवान–                                लीलाराम बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018ः–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 24.12.2013 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 946/0.81 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ की मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत दिनांक 18.08.2011 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है व प्रार्थीगण को स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस मे अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये, तथा प्रार्थर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये  रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–71 के अंकित ईन्द्राज के अनुसार प्रार्थी आराजी विवादित का हिस्सेदार हे। जैसा कि अप्रार्थीगण वन विभाग द्वारा जवाब में अंकित किया कि उनके द्वारा प्रार्थी की आराजी को दबाकर वन विभाग की भूमि मे मिलाकर बाउन्ड्री नही की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्य वाद पेश होने से पूर्व ही किया जा चुका है। जैसा कि टी.आई आदेश दिनांक 24.12.2013 भी इस आदेश के साथ जारी किया गया है कि प्रार्थीगण स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस मे अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश करवाली जावें। उक्त आदेश की पालना प्रार्थी द्वारा किये जाने बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्राथर्ना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0 946/0.81 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.12.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official